

परिवहन विभाग

हिमाचल प्रदेश

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग दिनांक 24 जून, 2024 से विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के आबंटन हेतु ई-ऑक्शन करने जा रहा है। विभाग द्वारा निम्नलिखित विशेष पंजीकरण चिन्हों की ई-ऑक्शन की जाएगी :-

1. HP17H-0001 (पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, पांवटा साहिब)
2. HP24E-0001 (पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, बिलासपुर)
3. HP33AA-0001 (पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, कोटली)

Central Motor Vehicles Rules, 1989 के Rule 47 के तहत इच्छुक व्यक्ति जो हिमाचल का निवासी हो या जिसके पास राज्य में व्यवसाय करने का प्रमाण हो, विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट <https://himachal.nic.in/transport> पर जा कर ई-ऑक्शन फ़ैन्सी नम्बर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकता है। जिसके लिए ई-ऑक्शन कार्य प्रणाली की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी :-

ई-ऑक्शन के लिए न्यूनतम बोली (प्रारम्भ)	₹ 5,00,000 (पांच लाख रूपए)
आरम्भिक पंजीकरण	₹ 2,000 (दो हजार रूपए) (नॉन रिफंडेबल) प्रतिभागी द्वारा बोली के न्यूनतम मूल्य की 30 प्रतिशत राशि जो ₹ 1,50,000 बनती है, जमा करवानी होगी जो कि सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य को असफल रहने पर 5 दिनों के अन्दर वापिस कर दी जाएगी।
पंजीकरण का समय	आवेदनों का पंजीकरण सोमवार दिनांक 24 जून, 2024 प्रातः 10 बजे से शनिवार दिनांक 29 जून, 2024 सांय 5 बजे तक होगा और आवेदक बोली में भी साथ-साथ भाग ले सकता है।

	रविवार को पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा और आवेदक केवल ई-ऑक्शन में भाग ले सकता है ।
बोली प्रक्रिया	बोली की शुरुआत बोली के न्यूनतम मूल्य ₹ 5,00,000 की 20 प्रतिशत राशि (₹ 1,00,000) की बढ़ोतरी के साथ होगी । बोली के लिए प्रारम्भिक राशि – ₹ 6,00,000 इसके पश्चात् बोली न्यूनतम मूल्य ₹ 5,00,000 की 10 प्रतिशत राशि जो कि ₹ 50,000 होगी, के साथ ही बढ़ सकती है ।
परिणाम (रिजल्ट)	ई-ऑक्शन का परिणाम रविवार सांय 5 बजे घोषित किया जाएगा ।
<p>सफल बोलीदाता को बकाया राशि तीन दिन के भीतर दिनांक 3 जुलाई, 2024 (बुधवार) तक जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा। उसके उपरान्त ही नम्बर आबंटित होगा ।</p> <p>अगर सफल आवेदक किसी कारण विशेष पंजीकरण चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जो कि ₹ 1,50,000 बनती है, वापिस नहीं होगी व सरकारी कोष में जमा होगी तथा यह नम्बर दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिया जाएगा । इस नम्बर के लिए विभाग द्वारा पुनः बोली लगाई जाएगी ।</p>	

निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश